प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 21.07.2017 को ड्रेनेज, सिवरेज, जलापूर्ति एवं AMRUT योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

दिनांक 21.07.2017 को ड्रेनेज, सिवरेज, जलापूर्ति एवं AMRUT योजनाओं की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें प्रबंध निदेशक, बिहार, राज्य जल पर्षद, मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद तथा बुडको के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित हुए।

2. माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर दिनांक 17.07.2017 को विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिया गया है कि ड्रेनेज एवं सिवरेज से निकलने वाले पानी का उपयोग सिंचाई एवं कृषि हेतु किया जाय। सिंचेवाल मॉडल का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। नाली एवं सिवरेज का पानी गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में मिलकर दुषित न करे। STP का निर्माण इस तरह से हो कि संशोधित जल का उपयोग केवल सिंचाई एवं कृषि के लिए हो।

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद एवं मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया कि विभाग द्वारा कार्यान्वित एवं वर्तमान में स्वीकृत सभी ड्रेनेज एवं सिवरेज की योजनाओं में पानी का outfall नदी में नहीं हो। इस हेतु कार्य योजना तैयार की जाय तथा जल संसाधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, लघु जल संसाधन विभाग एवं कृषि विभाग से समन्वय किया जाए।

इस कार्य के समन्वय हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में "समन्वय समिति" गठित करने का प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय, जिसमें लधु जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सदस्य रहेंगे। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–2)**

मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया कि सिंचेवाल (पंजाब) में की गयी व्यवस्था का अध्ययन करने हेतु बुडको के 02 अभियंताओं का दल गठित करके स्थल अध्ययन हेतु भेजा जाय। यह दल 15 दिनों के अंदर अध्ययन करके प्रतिवेदन बुडको एवं विभाग को समर्पित करेगी। इस संबंध में सिंचेवाल मॉडल के आधार पर राज्य के लिए एक मॉडल तैयार किया जाय।

3. दिनांक 20.07.2017 को निर्माण भवन, नई दिल्ली में मध्य प्रदेश एवं बिहार की केन्द्रीय योजना की समीक्षा बैठक के क्रम में जानकारी प्राप्त हुई कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेयजल अथवा सीवरेज योजनांतर्गत किसी भी रोड में 250 मीटर में जब तक कार्य पूर्ण कर restore नहीं हो जाता है तब तक उससे अधिक लंबाई में रोड किसी भी परिस्थिति में काटा नहीं जाएगा। पाईप के buying के साथ ही connection कर लेने का भी प्रावधान किया गया है। इस हेतु मध्य प्रदेश में नियमावली/मार्गदर्शिका भी तैयार की गयी है।

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनायी गयी पेयजल योजना के कार्यान्वयन हेतु नियमावली का अध्ययन करके प्रतिवेदन विभाग को समर्पित की जाय।

4. मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया कि मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल एवं दरभंगा ड्रेनेज योजना के outfall के स्थल अध्ययन हेतु बुडको के अभियंताओं को भेजा जाय। दिनांक 25.07.2017 को इन ड्रेनेज योजनाओं का माननीय विभागीय मंत्री के स्तर पर presentation निर्धारित है, अतः ड्रेनेज के outfall का अध्ययन करके बुडको द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 25.07. 2017 के पूर्व तक अनिवार्य रूप से विभाग में समर्पित की जाय।

5. मुख्य महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि फुलवारी शरीफ स्टॉर्म ड्रेनेज योजना (खोजा ईमली से नहर पर लख तक) का प्राक्कलन संशोधित करके आज ही विभाग को उपलब्ध करा दी जाएगी एवं मुजफ्फरपुर ड्रेनेज योजना का प्राक्कलन दिनांक 24.07.2017 तक उपलब्ध करा दी जाएगी।

6. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद एवं मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया कि सभी ड्रेनेज योजना के डी०पी०आर० की समीक्षा स्थल पर जाकर किया जाय एवं संबंधित नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों को डी०पी०आर० में किए गए प्रावधान की जानकारी उपलब्ध कराएंगे एवं इनसे प्राप्त सुझाव के आधार पर डी०पी०आर० में आवश्यक संशोधन करेंगे।

7. मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा आश्वासन दिया गया कि AMRUT योजनांतर्गत बेऊर से मीठापुर ड्रेनेज योजना का Final DPR दिनांक 24.07.2017 तक विभाग को उपलब्ध करा दी जाएगी।

निर्देश दिया गया कि दिनांक 25.07.2017 को बुडको द्वारा कार्यान्वित ड्रेनेज योजनाओं का माननीय विभागीय मंत्री के स्तर पर presentation निर्धारित है। उक्त निर्धारित presentation बैठक में ही बेऊर से मीठापुर ड्रेनेज योजना का भी presentation कर लिया जाय।

8. मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि Command Control Monitoring System (CCMS) के RFP का प्रारूप तैयार किया जाय। इस सिस्टम अंतर्गत तत्काल फुलवारी शरीफ अथवा पटना शहर के लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जा सकती है।

9. मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि गोसाईं टोला सम्प हाऊस में जो टेकओवर हो गया है, उसका final scheme तैयार कर विभाग में शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

10. माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर दिनांक 17.07.2017 को विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिया गया है कि जिन शहरों में जल में Arsenic/fluoride/Iron इत्यादि की समस्या है, वहाँ treatment plant का प्रावधान योजना के RFP में किया जाय।

मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में PHED द्वारा योजनाओं के RFP में समाहित किये गये प्रावधानों का अध्ययन करके, नगर विकास एवं आवास विभाग की पेयजल योजनाओं के RFP में समाहित किया जाय।

11. माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर आयोजित बैठक में यह भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि पेयजल योजनाओं के रखरखाव हेतु नगर निकायों के स्तर पर वार्ड समिति का गठन किया जाय।

निर्देश दिया गया कि इस हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा गठित वार्ड समिति के प्रावधानों एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम का अध्ययन करके नगर निकाय स्तर पर वार्ड समिति के गठन हेतु दिशानिर्देश प्रारूप तैयार किया जाय।

(अनुपालन :–श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक)

12. AMRUT योजनांतर्गत सभी स्वीकृत योजनाओं को MIS में प्रविष्टि अभी तक नहीं हो पायी है। विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी–3 को निर्देश दिया गया कि वे इस योजनांतर्गत स्वीकृत सभी योजनाओं को MIS में प्रविष्टि सुनिश्चित कराएंगे।

यह भी निर्देश दिया गया कि AMRUT योजनांतर्गत स्वीकृत पार्क निर्माण की योजनाओं की निविदा प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु संबंधित नगर निकायों को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से D.O. Letter भेजा जाय। **(अनुपालन :–प्रशाखा पदाधिकारी–3)**

13. बोधगया में बुडको द्वारा जलापूर्ति योजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन अभी तक HT विद्युत कनेक्शन नहीं हो पाने के कारण नागरिकों को पानी की आपूर्ति नहीं हो पायी है।

इस संबंध में मुख्य महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि HT विद्युत कनेक्शन हेतु सभी संबंधितों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है। निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर जलापूर्ति चालू कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करें।

14. मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया कि झंझारपुर एवं नौबतपुर में जलापूर्ति योजना कार्य के अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन आज ही विभाग को उपलब्ध करायी जाय तथा झंझारपुर एवं नौबतपुर में जलापूर्ति योजना में हाऊस टू हाऊस कनेक्शन संबंधित नगर निकाय के माध्यम से कराने हेतु कार्रवाई की जाय।

15. मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद एवं मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया कि नगर निकाय क्षेत्रों में जलापूर्ति योजना का सर्वे रिपोर्ट, road wise, रोड नं० एवं लाभार्थी के नाम के साथ लगाये गये हाऊस टू हाऊस कनेक्शन की पूर्ण सूची संबंधित नगर निकाय एवं विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे ताकि नगर निकायों द्वारा सत्यापन किया जा सके।

16. ए०डी०बी० संपोषित भागलपुर जलापूर्ति योजना में टॉवर निर्माण के डी०पी०आर० में technical change किया गया है। इस संबंध में मुख्य अभियंता, ए०डी०बी० द्वारा पिछली बैठक में आश्वासन दिया गया था कि एक सप्ताह के अंदर cost analysis करके प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

मुख्य महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि इस संबंध में DSC का प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। निर्देश दिया गया कि जब तक cost analysis का प्रतिवेदन DSC से प्राप्त होकर जाँच नहीं हो जाता है तब तक उनका भुगतान अवरूद्ध रखने हेतु कार्रवाई करें।

17. विधानसभा में बैठक के दौरान कटिहार के माननीय विधायक द्वारा कटिहार में निर्माणाधीन बस स्टैण्ड के सम्पर्क पथ के निर्माण के संबंध में मुद्दा उठाया गया था कि बस स्टैण्ड के सम्पर्क पथ का निर्माण नहीं होने से आम नागरिकों को काफी कठिनाई हो रही है।

मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया कि वे अपने स्तर पर इसका अनुश्रवण करके सम्पर्क पथ का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराएंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

24/7/2017

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–.........4824.........न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक ...24/7/17...

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / श्री संजय दयाल, विशेष सचिव / अपर सचिव / श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग / नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना / प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना / मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना / मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, पटना / मुख्य अभियंता, बुडा, पटना / श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता / श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता / प्रशाखा पदाधिकारी–2 एवं 3 / आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7/2017

प्रधान सचिव